

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/समिति/ 354/
प्रति,

३२६६

भोपाल दिनांक / 2-05-2008

✓ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
म0प्र० भोपाल ।

विषय :- उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के जरिये ईमारती काष्ठ के साथ-साथ बांस उपलब्ध कराने तथा एक विधान सभा क्षेत्र में एक से अधिक डिपो स्थापित करने के संबंध में ।
संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक /समिति/347/7180 भोपाल दिनांक 07.02.2008 ।

—००—

राज्य शासन ने उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों हेतु खुदरा बिक्री डिपो की स्थापना कर ईमारती काष्ठ उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की थी, उसी क्रम में उपभोक्ता को बांस उपलब्ध कराने तथा अतिरिक्त खुदरा बिक्री डिपो खोलने वाले राज्य शासन निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता है ।

(अ) राज्य शासन एतद् द्वारा खुदरा बिक्री हेतु स्थापित किये गये डिपो से ईमारती काष्ठ के साथ-साथ हितग्राहियों, (बैगा अन्य आदिवासीयों, शिल्पकार) को प्रतिमाह अधिकतम 50 बांस तथा शिल्पकारों की समितियों एवं स्व सहायता समूहों को अधिकतम 500 बांस तक उपलब्धता के अनुसार प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान करता है ।


(2) बांस प्रदाय दरें संबंधित वन वृत्त द्वारा निर्धारित विभिन्न बांस वर्ग के लिये अवरोध दर+10 प्रतिशत अधिक रहेगी । अवरोध दरों का निर्धारण वन संरक्षक तीन वन मंडल अधिकारियों की समिति गठित कर समिति की अनुशंसाओं के आधार पर करेंगे । इस पर समर्त देय कर अतिरिक्त होंगे ।

(3) यदि किसी वन वृत्त में बांस का पर्याप्त उत्पादन नहीं होने के कारण अवरोध दरें उपलब्ध नहीं है तो वे नजदीकी वन वृत्त की अवरोध दरों का उपयोग करेंगे । यदि नजदीकी वन वृत्त में भी उस बांस वर्ग की अवरोध दरें उपलब्ध नहीं हो तो वन वृत्त बालाघाट की अवरोध दरें उपयोग में लेंगे ।

(4) किसी भी स्थिति में संबंधित खुदरा बिक्री डिपो से प्रदाय किये जाने वाले बांस की दरें अवरोध मूल्य + देय समस्त करों से कम नहीं होगी ।

(5) यदि किसी वन वृत्त में बांस उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके द्वारा बांस किसी अन्य वृत्त से लाकर खुदरा बिक्री डिपो में उपलब्ध कराया जाता है तो जिस वृत्त से बांस लाया जा रहा है

वन संरक्षक राष्ट्रा /निर्दि.



प्रधान
भारी शोधकारा
पर्यावरण
23-5-08
23566 ल.प.पर्यावरण.

उस वृत्ता के संबंधित बांस वर्ग के लिये निर्धारित अवरोध दरों में 10 प्रतिशत जोड़कर तथा वास्तविक दुलाई व्यय एवं संबंधित करों को जोड़कर प्रदाय दरें निर्धारित की जायेगी।

(6) राज्य एवं केन्द्र शासन के विभागों एवं उनके द्वारा संचालित उद्योग विभाग, निगम, संस्थाओं इत्यादि को बांस प्रदाय हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक समिति/6/2002/898 दिनांक 26-6-02 द्वारा जारी व्यवस्था यथावत् प्रभावशील रहेगी।

(ब) राष्ट्रीयकृत वनोपज अंतर्विभागीय समिति के पत्र क्रमांक समिति/06/2006/2345 भोपाल दिनांक 02.06.2006 के द्वारा आगरबत्ती काड़ी निर्माण करने वाली या उस उद्योग हेतु बांस के गुल्ले बनाने वाली सहकारी समितियों/वन समितियों/स्व सहायता समूहों एवं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज एवं विकास सहकारी संघ के अन्तर्गत कामन फेसिलिटी सेंटर में कार्यरत बांस हस्तशिलिपियों को वन विभाग एवं वन विकास निगम डिपों से औद्योगिक बांस की प्रदाय दर रूपये 1900 (एक हजार नौ सौ) प्रति विक्रय ईकाई आगामी आदेश तक निर्धारित की जाती है।

(स) यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी विधान सभा क्षेत्र में उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत एक से अधिक खुदरा विक्री हेतु डिपों स्थापित किया जाना आवश्यक हो तो इस प्रयोजन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉआर.के.गुप्ता)

पदेन अपर सचिव

म0प्र0 शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक 12-04-2008

पृ.क्रमांक/समिति/354/ ३२६७

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम भोपाल।
4. महालेखाकार (क्रमांक एक) म0प्र0 ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 12-04-2008 में प्रत्युत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रिष्ठि

(डॉआर.के.गुप्ता)

पदेन अपर सचिव

म0प्र0 शासन, वन विभाग